20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(1)

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी-0261/2019/देवास/भू.रा.

निगरानी-- / देवास / भू.रा.

श्री राजेन्द्र सिंह पंवार द्वारा आज दि. 8/2/19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 21-2-19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 8.2.19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रवि जैन पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र जैन आयु- 40 वर्ष, धंधा,- व्यापार, निवासी- 74, सिविल लाईन, देवास, जिला देवास म.प्र. .... आवेदक

बनाम

1. प्रितेश जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन आयु- 38 वर्ष, व्यवसाय- व्यापार, निवासी- 47, नयापुरा, देवास, जिला देवास म.प्र.
2. गोपालकृष्ण व्यास पुत्र श्री योगानन्द व्यास आयु- 84 वर्ष, व्यावसाय- सेवानिवृत्त सहायक संचालक शिक्षा विभाग, निवासी- 79 कृष्ण कुंज, कर्मचारी कॉलोनी के पास, देवास, जिला देवास म.प्र.

.... अनावेदकगण

राजेन्द्र सिंह पंवार 08/02/19

नगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 31.01.2019 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 906 / अपील / 2017-18 से दुखित होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य-

1. यहकि, न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 906 / अपील / 2017-18 में पारित आदेश दिनाक 10.09.2018 में जिसके द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्म महोदय द्वारा अपील को अंतरिम सुनवाई हेतु ग्राहे किये जाने के बावजूद प्रकरण में बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर उक्त अपील मे आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना को अनदेखा कर आवेदक के स्थगन आवेदन पत्र स्वीकार न करते हुए उसे खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित एवं दुखित होकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष आवेदक द्वारा निगरानी प्रकरण

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 0261/2019/देवास/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.2.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। 2–यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 906/अपील/2017–18 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 31.1.19 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 6305/2018/देवास/भू.रा. में पारित आदेश दिनांक 13.11.18 के द्वारा तीन माह का स्थगन जारी करते हुये अपर आयुक्त उज्जैन को प्रकरण का निराकरण तीन में निराकरण करने का निर्देश दिया गया था लेकिन प्रकरण का निराकरण दिनांक 14.2.19 तक नहीं किया गया जिससे परिवेदित होकर प्रकरण आज मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। 3–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश का पालन नहीं किया गया है। अतः अपर आयुक्त उज्जैन को पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर तीन माह में करें, जब तक अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला देवास के प्रकरण कमांक 08/पुर्ना0/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 8.3.18 का कियान्वयन तीन माह जो भी पहले हो तक स्थगित किया जाता है। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	